

प्रस्ताव संख्या - FP/UP / ROAD /43253/ 2019

Name of Project: - "Forest Land Diversion Proposal for " Improvement and Ulp- gradation to 4- lane configuration of Meerut- Nazibabad Section of NH-119 between Km 39+165 to Km 78+635 (Km 48+400 to Km 66+500 in District Muzaffarnagar) in the State of Uttar Pradesh",

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत "Forest Land Diversion Proposal for " Improvement and Ulp- gradation to 4- lane configuration of Meerut- Nazibabad Section of NH-119 between Km 39+165 to Km 78+635 (Km 48+400 to Km 66+500 in District Muzaffarnagar) in the State of Uttar Pradesh", की परियोजना में कुल- 27.7284 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा संरक्षित वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(विमल किशोर भीरद्वारा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर